



सीएसआईआर - केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान
CSIR-CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद/Council of Scientific & Industrial Research)

कारैकुडी/KARAIKUDI -- 630 006

सं./No.07-19 (01)/2012-R&C

दि./Date: 21.05.2013

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: शिक्षा केंद्र के छात्रावास के मामलों की देख-रेख के लिए समिति का पुनर्गठन।

Sub: Reconstitution of committee to look after the CFE Hostel affairs-Reg.

संदर्भ/Ref : सीएसआईआर-सीईसीआरआई का का.ज्ञा.सं. / CSIR-CECRI OM No.

07-09(01)/2005-R&C दि./dated 27.07.2011


उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में निदेशक, सीएसआईआर-सीईसीआरआई, कारैकुडी द्वारा शिक्षा केंद्र के छात्रावास के मामलों की देख-रेख हेतु निम्नानुसार समिति के पुनर्गठन की सहर्ष अनुमति प्रदान की गई है: - यह दि. 01 जून, 2013 से प्रभावी होगा।

In supersession of this Office Memorandum cited above, Director, CSIR-CECRI, Karaikudi has been pleased to accord approval for reconstitution of the Committee to look after the CFE Hostel affairs as follows with effect from 01st June 2013.

1. डॉ.एस.वासुदेवन/Dr S. Vasudevan, - अध्यक्ष/Chairman
प्रधान वैज्ञानिक/Principal Scientist
2. डॉ.आर.तंगमुत्तु/Dr R. Thangamuthu, - वॉर्डन/Warden
वरिष्ठ वैज्ञानिक/Senior Scientist
3. श्री सोमेश्वर पाण्डेय/Shri Someshwar.Pandeya, - संयुक्त वार्डन/Joint Warden
हिंदी अधिकारी/Hindi Officer (Hostel)
4. डॉ जी.श्रीधर/Dr G. Sreedhar, - संयुक्त वार्डन/ Joint Warden
वैज्ञानिक/Scientist (Mess)
5. डॉ.आर.वेदलक्ष्मी/Dr R. Vedalakshmi, - महिला परामर्शदाता/
प्रधान वैज्ञानिक/Principal Scientist Lady Counselor
6. डॉ.एस.एस.श्रीजा कुमारी/Dr S.S. Sreeja Kumari, - महिला परामर्शदाता/
वैज्ञानिक /Scientist Lady Counselor

वित्तीय शक्तियों के लिए सीएसआईआर-सीईसीआरआई के सभी नियम लागू होंगे।

For financial powers, all the rules of CSIR-CECRI would be applicable.


(एम.आनंद कुमार/M. ANANDA KUMAR)

अनुभाग अधिकारी(भर्ती एवं स.)/Section Officer (R&C)

सेवा में/To:

वर्तमान तथा नवीन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य /

Chairman and Members of outgoing and incoming Committee

प्रतिलिपि/Copy to

1. निदेशक/प्र.नि./प्र.अ. के निजी सचिव/PS to Director / COA / AO
2. वित्त एवं लेखा अधिकारी/ FAO
3. भंडार एवं क्रय अधिकारी/SPO